भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
टेलीफोन: 91-22-25752040/1/2/3/5 नौवीं मंजिल, बीटा बिल्डिंग / 9TH FLOOR, BETA BUILDING Tele : 91-22- 25752040/1/2/3/5
फैक्स : 91-22- 25752029/35 आइ-थिंक टेक्नो कैंपस / i-THINK TECHNO CAMPUS Fax : 91-22- 25752029/35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in कांजुर मार्ग (पूर्व) / KANJUR MARG (EAST) E-mail: dgship-dgs@nic.in
वब : www.dgshipping.gov.in मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042 Web: www.dgshipping.gov.in

F. No. CR/Arrest MT Akshay-13

Dated 06.08.14

## NOTICE TO SEAFARERS

1. Maritime Labour Convention (MLC), 2006 which is a "bill of right" for the seafarers brings in a decent working condition & welfare measures for the seafarer. It stipulates that recruitment of seafarers has to be governed through registered Recruitment & Placement Service (RPS) providers. The Government of India has promulgated Merchant Shipping (Recruitment and Placement of Seafarers) Rules, 2005 vide notification No. G.S.R. 182 (E) dated 18.3.2005, with amendments thereafter. As per the above said rule, any manning agencies recruiting seafarers have to be registered as a RPS provider. These rules provide a mechanism for protection of Indian Seafarers working on Indian and Foreign Flag Vessels and the necessary safeguards for their repatriation in the event of they being stranded, or during such other exigencies, when the ship owner fails to discharge the duty of repatriating the seafarers to the home port of the seaman. In order to deter unregistered RPS providers for engaging Indian seafarers for placement on vessels and also to restrict Indian seafarers from taking employment through such unregistered RPS providers, it was decided that the sea service completed by seafarers on ships where placement was carried out through unregistered RPS providers will not be recognized (Crew Circular 09 of 2007 dated 21.09.07 refers)

2. Not with standing the above, this Directorate still receives reports that unregistered manning agencies continue to engage Indian seafarers and place them on board ships. Instances have also been brought to the notice that, the seafarers engaged by

such unregistered manning agencies, are facing various problems like placement on non standard and unsafe ships, non- payment of wages, non repatriation of stranded seafarer and other legal complication in foreign ports etc. In several cases, ship owners / agents have also not taken responsibility for medical aid or injury, repatriation and compensation. Parents and next of kin, of seafarers declared missing or dead, are left helpless even to obtain basic information and assistance.

3. In view of the above circumstances, this notice is being issued by the Directorate in the interest of increasing awareness of the general public and in particular for Indian seafarers and their family members on the ill effects of being employed on board ships through unregistered RPS providers. All Indian seafarers aspiring to be appointed on board Indian/Foreign flag ships are therefore advised to take the above into cognizance while seeking employment on ships. The details of registered RPS providers are available in the official website of the Directorate General of Shipping (www.dgshipping.gov.in.). All the aspiring seafarers are hereby advised to take note of the above facts and confirm the details of RPS Registration of the companies / agencies before taking up employment on board the merchant navy vessels through such agencies, in order to safeguard their rights and interests.

Director General of Shipping

सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040/1/2/3/5 नौवीं मंजिल, बीटा बिल्डिंग / 9TH FLOOR, BETA BUILDING Tele : 91-22- 25752040/1/2/3/5
फैक्स : 91-22- 25752029/35 आइ-थिंक टैक्नो कैंपस / i-THINK TECHNO CAMPUS Fax : 91-22- 25752029/35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in कांजुर मार्ग (पूर्व) / KANJUR MARG (EAST) E-mail: dgship-dgs@nic.in
वेब : www.dgshipping.gov.in मुंबई – 400 042 / MUMBAI – 400 042 Web: www.dgshipping.gov.in

फा. सं.- क्रू/अरेस्ट एम टी अक्षय - 13 दिनांक : 06.08.2014

## समुद्रकर्मियों को सूचना

समुद्रकर्मियों के लिए समुद्रीय श्रम कन्वेंशन (एम एल सी) 2006 "अधिकार का विधेयक" है, जिसमे समुद्रकर्मियों के लिए कार्य करने की अच्छी स्थिति और कल्याण के उपाय शामिल है। इसमें कहा गया है कि समुद्रकर्मियों की भर्ती पंजीकृत भर्ती और नियोजन सेवा (आर पी एस) प्रदाताओं के माध्यम से करनी होगी। भारत सरकार ने दि. 18.03.2005 की अधिसूचना सं. सकानि 182 (ई) के अनुसार वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रकर्मियों की भर्ती और नियोजन) नियम 2005 और उसके बाद उनमें संशोधनों को प्रख्यापित किया है। उपर्युक्त नियम के अनुसार समुद्रकर्मियों को भर्ती करनेवाला हर अभिकरण आरपीएस प्रदाताके रूप में पंजीकृत हो। इन नियमों में व्यवस्था है कि भारतीय और विदेशी ध्वज जलयानों पर कार्य कर रहे, भारतीय समुद्रकर्मियों का संरक्षण हो और उनके फँस जाने या इस तरह की अन्य अत्यावश्यकतावाली स्थिति में उन्हें लौटाकर लाए जाने के लिए आवश्यक सुरक्षोपाय, जब पोत स्वामी, नाविक के अपने देश के पत्तन तक समुद्रकर्मियों को वापस लौटाकर लाने के अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहें, तब किए जांए। जलयानों पर नियोजन हेतु भारतीय समुद्रकर्मियों को लगाए जाने के लिए अपंजीकृत आरपीएस प्रदाताओं को समाप्त किए जाने और साथ ही ऐसे अपंजीकृत आरपीएस प्रदाताओं के माध्यम से रोज़गार प्राप्त करने से भारतीय समुद्रकर्मियों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि अपंजीकृत आरपीएस प्रदाताओं के माध्यम से किए गए नियोजन की स्थिति में पोतों पर

समुद्रकर्मियों द्वारा पूरी की गई समुद्रीसेवा को मान्यता नहीं दी जाएगी (दि. 21.09.07 का क्रू परिपत्र सं. 9/2007देखें)

2. उपर्युक्त में, किसी भी बात के रहते हुए इस निदेशालय को अब भी ऐसी जानकारिया मिल रही हैं कि अपंजीकृत जन-नियोजन अभिकरण, भारतीय समुद्रकर्मियों को पोतों पर नौकरी का काम दिलाने में लगे हैं। ऐसी बातें भी पता चली हैं कि ऐसे अपंजीकृत जन-नियोजन अभिकरण द्वारा कार्य पर लगाए गए समुद्रकर्मी विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे उन्हें मानक से इतर और असुरक्षित पोतों पर लगाया जाता हैं, मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता, फँसे हुए समुद्रकमियों को लौटाकर वापस नहीं लाया जाता और विदेशी पत्तनों में अन्य कानूनी जटिलताएँ आती हैं, इत्यादि। कई एक मामलों में पोतस्वामियों / अभिकर्ताओं ने चिकित्सा सहायता या घायल होने की स्थिति में, लौटाकर लाए जाने में क्षतिपूर्ति करने के मामले में भी जिम्मेदारी नहीं ली। खो चुके या मृत घोषित किए गए समुद्रकर्मियों के माता-पिता और उनके निकट संबंधी को आधारभूत जानकारी और सहायता तक नहीं दी गई।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपंजीकृत आरपीएस प्रदाताओं के माध्यम से पोतों पर लगाए जाने की वजह से हानेवाले प्रभावों के बारे में, विशेष रूप से भारतीय समुद्रकर्मियों और उनके परिवारजनों और आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए निदेशालय द्वारा यह सूचना जारी की जा रही हैं। इसलिए भारतीय / विदेशी ध्वजपोतों पर नियुक्त किए जानेवाले समस्त इच्छुक भारतीय समुद्रकर्मियों को यह सलाह दी जाती है कि वे पोतों पर नौकरी पाते समय उपर्युक्त का ध्यान रखें । पंजीकृत आरपीएस प्रदाताओं के विवरण नौवहन महानिदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट (www.dgshipping.gov.in) पर उपलब्ध है। सभी इच्छुक समुद्रकर्मियों को एतद्द्वारा सलाह है कि उपर्युक्त तथ्थों को ध्यान में रखें और अपने अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा के लिए ऐसे अभिकरनों के माध्यम से वाणिज्य पोत परिवहन के जलयानों पर रोज़गार पाने से पहले कंपनियों / अभिकरणों के आरपीएस पंजीकरन के विवरणों की पुष्टि कर लें।

नौवहन महानिदेशक